न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –235/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00343

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा।

––प्रार्थी.

बनाम

राजाराम आत्मज मोडू धाकड़ निवासी मदनपुरा तहसीलदार रामगंजमण्डी

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण

उपस्थित–

1. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभषक
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक –25/08/2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, रामगंजमण्डी (भूमिधारी) ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी राजाराम आत्मज मोडू जाति धाकड़ निवासी मदनपुरा को ग्राम रूपपुरा की आराजी खसरा नम्बर 223/143 रकबा 0.30 हे0, वर्ष 2010 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गयी थी । अप्रार्थी वर्तमान में राजस्व रेकार्ड अनुसार गैर खातेदार दर्ज है तथा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अप्रार्थी आवंटित भूमि पर का कब्जा नहीं है । आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने से आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवंटन की शर्तो का पालन नहीं करने से उक्त आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अप्रार्थी के विरूद्व आवंटन नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर आवंटन निरस्त फरमावें ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक उपस्थित । अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । राजकीय अभिभाषक एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई ।
3. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराया ।

जिला कलेक्टर
कोटा

4. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि आराजी ख0नं0 143 रकबा 1.40 हे0 वाके ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का मदनपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में स्थित है जिसमें से 0.30 हे0 भूमि आवंटित की जाकर इन्तकाल नम्बर 277 दिनांक 01.8.2011 से अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज कर कब्जा आराजी पर दिया गया तत्पश्चात इन्तकाल नम्बर 135 दिनांक 17.10.2016 से अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये तब से उक्त आराजी वर्तमान तक अप्रार्थी के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज खाता है । जिस पर प्रार्थी ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चला आ रहा है । भूमि के आवंटन में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही है । उक्त आराजी में खातेदार अधिकार प्रदान किये जाने के बाद उक्त प्रकरण में 14(4) की कार्यवाही की गई जो कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RRT 2018 (2) 1007 State of rajasthan V/S Shankarlal Ors एवं D.b. CIVILWRITE PETITION NO 948/1986 Pat Ram and Ors V/S State of Rajasthan and Ors प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित कराया ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि अप्रार्थी आवंटी आवंटित भूमि पर काबिज काश्त है तथा आवंटित भूमि पर नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 17.10.2016 से खातेदारी अधिकार भी दिये जा चुके है । खातेदारी अधिकार दिये जाने के पश्चात नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता । वकील अप्रार्थी के कथनो से हम सहमत है तथा इस प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRT 2018 (2) 1007 State of rajasthan V/S Shankarlal Ors एवं D.b. CIVILWRITE PETITION NO 948/1986 Pat Ram and Ors V/S State of Rajasthan and Ors इस प्रकरण में लागू होते है । आवंटित भूमि पर यदि आवंटी नियमित 3 वर्ष तक काश्त करता है तो वह खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, किन्तु वह नियमानुसार नियमित काश्त नहीं करता है तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ खसरा गिरदावरी संवत 2075, 2076 अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर कुंआ होना एवं जिस पर बिजली पम्पसेट होना तथा फसल काश्त होना जाहिर आता है । ऐसी स्थिति में यह प्रकरण नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त योग्य नहीं पाते है । किन्तु प्रश्न यह उठता है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपने पत्रांक/भू अ./स्था. /2016/1673 दिनांक 22.4.2016 को इस न्यायालय में आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रकरण भिजवाया गया जो दिनांक 8.9.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया किन्तु इसी दरमियान तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा इसी प्रकरण में खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये जो लापरवाही का द्योतक है । ऐसी स्थिति में प्रकरण प्रकरण में जांच कर विषय है कि आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात नियमानुसार कब्जा काश्त की जा रही है अथवा नहीं यदि काश्त की जा रही थी तो आवंटन निरस्ती हेतु यह प्रकरण क्यों भिजवाया गया ? यदि कब्जा काश्त नहीं है तो किन परिस्थितियों में खातेदारी अधिकार दिये गये ? उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच कर उचित कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर **ग्राम** रूपपुरा की आराजी **खसरा नम्बर 223/143 रकबा 0.30 हे0,** का **दिनांक 25.11.2010 को अप्रार्थी राजाराम आत्मज मोडू धाकड निवासी मदनपुरा** के हक में किया गया आवंटन आदेश यथावत रखते हुए प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इस आशयक के साथ प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रकरण में जांच करें कि आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात नियमानुसार कब्जा काश्त की जा रही है अथवा नहीं यदि काश्त की जा रही थी तो आवंटन निरस्ती हेतु यह प्रकरण क्यों भिजवाया गया ? यदि कब्जा काश्त नहीं है तो किन परिस्थितियों में खातेदारी अधिकार दिये गये ? उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच कर कब्जा काश्त अनुसार उचित कार्यवाही करें । निर्णय की प्रति मय तलविदा रेकार्ड वापस लौटाया जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर
कोटा
जिला कलक्टर
कोटा